पत्रांक /आयु0 कर उत्तरां0/फार्म–अनु0/2014–15/वाणिज्य कर/दे0दून

कार्यालय–आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(फार्म–अनुभाग)
देहरादून :: दिनांक::29 दिसम्बर, 2014

::विज्ञप्ति::

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005 के नियम–30 के उपनियम–13 के अन्तर्गत विज्ञापित किया जाता है कि नियम–26 के उपनियम–3 में निर्धारित **"आयात के लिए घोषणा पत्र"** (प्ररूप–16) सीरीज **U.K.VAT-M2012 क्रमांक 8000001 से 9000000 तक** इस कार्यालय की विज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से प्रचलन में आ जायेंगे और तब तक प्रचलन में रहेंगे जब तक वे इस कार्यालय की किसी विज्ञप्ति के द्वारा अवैध अथवा अप्रचलित घोषित न कर दिये जायें। उक्त सीरीज एवं क्रमांक के प्ररुप–16, विभागीय बैबसाइट पर इसकी उपरोक्त वैधता एवं प्रचलन की अवधि में ऑनलाइन स्वीकार किये जाते रहेंगे।

पूर्व विज्ञप्तियों द्वारा प्रचलित उक्त सीरीज **U.K.VAT-M2012** क्रमांक **प्रारम्भ से 80 लाख** तक के प्ररुप–16, भी प्रचलन में बने रहेंगे, जब तक कि इनको इस कार्यालय की किसी विज्ञप्ति के द्वारा अवैध अथवा अप्रचलित घोषित न कर दिये जायें।

U.K.VAT-M2012 सीरीज क्रमांक **8000001** से **9000000** तक के फार्म–16, 80 GSM के मैपलिथो पेपर पर मुद्रित है। इनकी बैक ग्राउण्ड प्रिंटिंग हल्के **Green and Orange** तथा प्रत्येक प्रति के ऊपर एवं नीचे हल्के हरे रंग में गोलाकार बने हुए हैं। मूल प्रति 15 से0मी0 द्वितीय प्रति 15 से0मी0 एवं प्रतिपर्ण प्रति 12 से0मी0 कुल तीन प्रतियों में 42 से0मी0 × 29.07 से0मी0 के साईज में छापा गया है। प्रत्येक प्रति के ऊपरी हिस्से पर नारंगी कलर में उत्तराखण्ड शासन का लोगो बना है। फार्म की मूल प्रति के ऊपर दाहिनी तरफ दो वर्टिकल बॉक्स बनाये गये हैं तथा इनमें 1, 2 अंकित किया गया है। सम्भागीय कार्यालय द्वारा जारी करते समय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) के लिए कोड–1 एवं असिस्टेन्ट कमिश्नर (खण्डाधिकारी) के लिए कोड–2 पंच करना होगा। कर निर्धारण कार्यालय का कोड अंकित करने के लिए मूल प्रति के नीचे दाहिने तरफ क्रमशः 0 से 9 एवं 0 से 9 तक ऐसे बॉक्स बनाये गये है जिनमें क्रमशः 0 से 9 तथा 0 से 9 तक के क्रमांक अंकित है तथा इनके दाहिनी तरफ एक–एक स्टार बनाये गये है। फार्म की बैक ग्राउण्ड में वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड मुद्रित है। प्रत्येक प्रति के मध्य में बैक ग्राउण्ड में उत्तराखण्ड शासन का लोगो सर्किल में मुद्रित है।

<u>प्ररुप–16, के प्रिटिंग में निम्नलिखित सिक्योरिटी फीचर्स डाले गये हैं।</u>

1– फार्मों की प्रत्येक प्रति के ऊपर की तरफ मध्य में उत्तराखण्ड शासन का लोगो मुद्रित **(Print)** है जो सामान्य प्रकाश में नारंगी रंग का दिखाई देता है एवं अल्ट्रावायलेट किरणों **(U V Rays)** में प्रकाशमान होता है।

2– फार्मों के ऊपरी भाग के मध्य में मुद्रित उत्तराखण्ड शासन के लोगो के नीचे नम्बर बॉक्स के ऊपरी हिस्से को काटते हुए एक अदृश्य लाईन**(Invisible hide band)** मुद्रित है जो एण्टी फोटोकापियर है, यह लाइन अल्ट्रावायलेटकिरणों **(U V Rays)** के प्रकाश में दिखाई देती है।

3– फार्मों के नम्बरिंग बॉक्स **(Numbring box)** के समीप बायीं तरफ प्रत्येक प्रति में उत्तराखण्ड शासन का अदृश्य **(Invisible)** लोगो बना है जो केवल अल्ट्रावायलेट किरणों **(U V Rays)** में ही दिखाई देता है।

क्रमशः पेज –2–

4– फार्मों में **U V Fiber** डाले गये हैं जो सामान्य प्रकाश में हल्के नारंगी रंग के दिखाई देते हैं तथा ये **U V Fiber** अल्ट्रावायलेट किरणों **(U V Rays)** में प्रकाशमान होते हैं।

5– फार्मों की बैकग्राउण्ड **(Background)** में (कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित कठिन डिजाइन) **Guilloche Pattern** प्रिन्ट किया गया है।

6– फार्मों की प्रत्येक प्रति में नीचे की ओर बायीं तरफ स्थान तथा दिनांक के सम्मुख अंकित लाइन में **Micro Printing** की गई है, **Magnifying glass** का प्रयोग करने से इसमें अंकित अक्षर **UKCT** पठनीय है।

7– फार्मों की मूल प्रति में नीचे की तरफ बायीं ओर **Thermo Chromic Ink** का प्रयोग करते हुए ग्रे कलर **(Grey colour)** का गोला बनाया गया है जिसमें **Thumb impression** देने पर (गरमी पड़ने पर) इसका रंग तुलनात्मक रूप से हल्का पड़ जाता है। पुनः **impression** हटा देने पर पूर्ववत ग्रे कलर **(Grey colour)** का दिखाई देगा।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 4405 /व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1– प्रमुख सचिव वित्त,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस इन्द्रानगर, देहरादून।
3– अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– अपर निदेशक,राजकीय लिथो प्रेस, रूडकी को इस आशय से प्रेषित की कृपया इसे उत्तराखण्ड गजट(साधारण) में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
5– एडिशनल कमिश्नर(विधि/प्रवर्तन/टैक्स–ऑडिट) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून।
6– एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर कुमाऊँ जोन रूद्रपुर/गढवाल जोन देहरादून।
7– ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियां करवाकर अपने अधीनस्थ कार्यालयों/व्यापार संघों/अधिवक्ता संघों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा फार्मस में कोई भी विसंगति पाये जाने पर मुख्यालय को सूचित करें।
8– ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0)वाणिज्य कर, गढवाल जोन, हरिद्वार एवं कुमाऊँ जोन रूद्रपुर को इस निदेश के साथ कि इस विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियां करवाकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों, प्रवर्तन/सचल दल इकाईयों को तुरन्त उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9– ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
10– मुख्यालय के समस्त अनुभागों को।
11– संख्या–अनुभाग मुख्यालय को व्यापार संघों एवं अधिवक्ता संघों के ई–मेल पते पर भेजने हेतु।
12– मौ0 शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय/web. information officer NIC को विभागीय वेब साईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।